19-8-19 वकील वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली जाकर प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया बाद पैरोकार उपस्थित रहे जवाब पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया प्रकरण में राजीनामा होने के कारण तनकीयात कायम नहीं पाये जाने पर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। नियमित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

(2)

(राजस्व वाद संख्या – 082/2019 अनवान राजेन्द कुमार बनाम रणजीत)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 082/2019

1 राजेन्द कुमार पुत्र श्री रणजीतराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1 रणजीतराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 सुशील कुमार पुत्र श्री रणजीतराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 कौशल्या पत्नि श्री सुर्यप्रकाश (पुत्री रणजीतराम) जाति जाट साकिन मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़

4 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप पारिक अधिवक्ता — वादी
2. श्री बनवारी लाल पारिक अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3
3. राज पैरोकार — प्रतिवादी संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 19.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 3 एम.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/42 के पत्थर नम्बर 160/333 (10) के किला नम्बर 6, 7/1, पत्थर नम्बर 159/333 (11) के किला नम्बर 1/1, 5 ता 8, 13 ता 15, पत्थर नम्बर 159/335 (19) किला नम्बर 8, 9, 12, 18, 19, 20/1/.228 की 3.796 हैक्टर, खाता संख्या 40/2 के पत्थर नम्बर 159/332 (8) किला नम्बर 24/.253, खाता संख्या 52/7 पत्थर नम्बर 160/333 (10) किला नम्बर 18 ता 25 की 2.024 हैक्टर, खाता संख्या 49/46 पत्थर नम्बर 159/333 (11) किला नम्बर 2 ता 4, पत्थर नम्बर 159/335 (19) किला नम्बर 13 कुल 1.012 हैक्टर इस प्रकार कुल 7.085 हैक्टर कमाण्ड मय गैर मुमकिन भूमि है, जो वादी के दादा लेखराम से कुछ भूमि एवम् शेष भूम उक्त विरासत भूमि की अर्जित आय से प्राप्त की है। जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 की उपरोक्त भूमि में से नीचे वर्णित भूमि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में है प्रतिवादी संख्या 1 नें आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी घरा घरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 उक्त भूमि पर काविज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी को घरा घरू बंटवारे में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

1 वादी संख्या 1 राजेन्द्र के हिस्सा की भूमि :– चक 3 एम.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/42 के पत्थर नम्बर 159/333 (11) के किला नम्बर 1/1, 5 ता 8, 13 ता 15, की 1.999 हैक्टर, खाता संख्या 40/2 के पत्थर नम्बर 159/332 (1) किला नम्बर 24/.253, खाता संख्या 49/46 पत्थर नम्बर 159/333 (11) किला नम्बर 2 ता 4, की 0.759 हैक्टर, पत्थर नम्बर 159/335 (19) किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टर।

लगातार 2

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

2 प्रतिवादी संख्या 2 सुशील कुमार के हिस्सा की भूमि :– खाता संख्या 52/7 पत्थर नम्बर 160/333 (10) किला नमबर 18 ता 25 की 2.024 हैक्टर।

इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 को घरु बंटवारा में उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई है व बंटवारा से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी ने अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि को मिट्टी उठाकर कराहा लगाकर समतल किया है। एवम् अच्छी खद व उर्वरक डालकर उपजाऊ बनाया है। जब वादी ने बंटवारे में अपने हिस्सा मे आई भूमि घराघरू बंटवारा एवम् कब्जा के अनुसार नाम लगवानें के लिये प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे और आखिर दिनांक 15.10.2018 को इन्कार हो गये यही वाद कारण है।

वादी को वाद पत्र के पैरा 5 के अनुसार वाद कारण हासिल है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. वाद पत्र की पैरा 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी के नाम रकमराज अलग कायम किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण को दिलवाना उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 26.06.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। तथा आपस में भाई–चारा बनाये रखनें के लिये उक्त अनवान के प्रकरण में बैठकर व लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है।

वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 3 एम.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/42 के पत्थर नम्बर 160/333 (10) के किला नम्बर 6, 7/1, पत्थर नम्बर 159/333 (11) के किला नम्बर 1/1, 5 ता 8, 13 ता 15, पत्थर नम्बर 159/335 (19) किला नम्बर 8, 9, 12, 18, 19, 20/1/.228 की 3.796 हैक्टर, खाता संख्या 40/2 के पत्थर नम्बर 159/332 (8) किला नम्बर 24/.253, खाता संख्या 52/7 पत्थर नम्बर 160/333 (10) किला नम्बर 18 ता 25 की 2.024 हैक्टर, खाता संख्या 49/46 पत्थर नम्बर 159/333 (11) किला नम्बर 2 ता 4, पत्थर नम्बर 159/335 (19) किला नम्बर 13 कुल 1.012 हैक्टर इस प्रकार कुल 7.085 हैक्टर कमाण्ड मय गैर मुमकिन भूमि दर्ज रिकार्ड खातेदारी है।

उक्त भूमि का वादी एवम् प्रतिवादीगण नें आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी घरा घरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारानुसार वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादी को घरा घरू बंटवारे में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है :–

1 वादी संख्या 1 राजेन्द्र के हिस्सा की भूमि :– चक 3 एम.डब्ल्यु. के खाता संख्या 39/42 के पत्थर नम्बर 159/333 (11) के किला नम्बर 1/1, 5 ता 8, 13 ता 15, की 1.999 हैक्टर, खाता संख्या 40/2 के पत्थर नम्बर 159/332 (1) किला नम्बर 24/.253, खाता संख्या 49/46 पत्थर नम्बर 159/333 (11) किला नम्बर 2 ता 4, की 0.759 हैक्टर, पत्थर नम्बर 159/335 (19) किला नम्बर 13 की 0.253 हैक्टर।

लगातार 3

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी

2 प्रतिवादी संख्या 2 सुशील कुमार के हिस्सा की भूमि :— खाता संख्या 52/7 पत्थर नम्बर 160/333 (10) किला नमवर 18 ता 25 की 2.024 हैक्टर।

इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण को परू बंटवारा में उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई व बंटवारा से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण नें राजीनामा अनुसार उपरोक्त प्रकार से आई कृषि भूमि पर उक्तानुसार काबिज हो चुके है।

वादी व प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार अपना दावा डिक्री करवाना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 3 अपनें पिता के नाम वाली उक्त सम्पति में से कोई विरासतन हक व हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहती है। व भविष्य में भी विरासतन हक व हिस्सा के लिये कोई वाद दायर नहीं करेगी। वादी व प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार अपनें हिस्सा में आई भूमियों का खाता व रकम राज उपरोक्त राजीनामा अनुसार अलग करवाना चाहते है। व इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण के नाम से इन्तकाल दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैराकार द्वारा जबाब स्टेट प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को ध्यान में रखते हुए याचित अनुतोष प्रदान किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनमा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40—53, 38—39—40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975—478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप—6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221—22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1973 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 रणजीतराम के नाम चक 3 एम डब्ल्यू की कुल 7.085 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार किये जाने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने से उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 3 एम.डब्ल्यू. की 7.085 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 को 3.264 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुशील कुमार को 2.024 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रणजीतराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एम.डब्ल्यू.	39/42	159/333 (11)	1/1/228, 5 ता 8 एवम् 13 ता 15	1.999 हैक्टर
	49/46	159/333 (11)	2 ता 4	0.759 हैक्टर
		159/335 (19)	13	0.253 हैक्टर
	40/2	159/332 (8)	24	0.253 हैक्टर
कुल भूमि :–				3.264 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 2 सुशील कुमार पुत्र श्री रणजीतराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एम.डब्ल्यू.	52/07	160/333 (10)	18 ता 25	2.024 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 19.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(6)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6—7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— कपिल यादव आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 082/2019

1 राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रणजीतराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादी

—:: बनाम ::—

1 रणजीतराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 सुशील कुमार पुत्र श्री रणजीतराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 कौशल्या पत्नि श्री सुर्यप्रकाश (पुत्री रणजीतराम) जाति जाट साकिन मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़
4 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :— 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :— 19.08.2019

वादी की ओर से श्री प्रदीप पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री बनवारी लाल पारिक अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से राजपैराकार इस वाद में आज दिनांक .....08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 3 एम.डब्ल्यू. की 7.085 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 को 3.264 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुशील कुमार को 2.024 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :—

1. वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रणजीतराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :—

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एम.डब्ल्यू.	39/42	159/333 (11)	1/1/228, 5 ता 8 एवम् 13 ता 15	1.999 हैक्टर
	49/46	159/333 (11)	2 ता 4	0.759 हैक्टर
		159/335 (19)	13	0.253 हैक्टर
	40/2	159/332 (8)	24	0.253 हैक्टर
कुल भूमि :—				3.264 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 2 सुशील कुमार पुत्र श्री रणजीतराम जाति जाट साकिन चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि :—

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
3 एम.डब्ल्यू.	52/07	160/333 (10)	18 ता 25	2.024 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक ....08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

—:: वाद के खर्चे ::—

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	— —	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	— —	अर्जी के लिये स्टाम्प	— —
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	— —	प्लीडर की फीस	— —
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	— —	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	— —	आदेशिका की तामिल	— —
कमिश्नर की फीस	— —		

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: